कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

कार्यालय–आदेश

शिक्षा निदेशालय नई दिल्ली (विज्ञापन संख्या 04/2017) (Govt of NCT of Delhi) appointment order No DE-2(10)/DRC/E-11/PGT(HIST)/FEMALE/2019/2520 posting id 20190357 Date 26-11-19 द्वारा पीजीटी–इतिहास के पद पर कृपा मीणा, व्याख्याता–इतिहास, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, भांकरी–दौसा जिनकी विभाग में प्रथम नियुक्ति दिनांक 03.01.2013 वरिष्ठ अध्यापक पद पर है, तथा वर्तमान धारित पद व्याख्याता–इतिहास पर कार्यग्रहण दिनांक 03.07.2017 है एवं NPS कार्मिक है। कृपा मीणा व्याख्याता–इतिहास का व्याख्याता पद पर स्थायीकरण दिनांक 28.08.19 को किया गया।

कृपा मीणा व्याख्याता इतिहास–राउमावि भांकरी दौसा ने शिक्षा निदेशालय नई दिल्ली में पीजीटी–इतिहास के पद पर चयन हो जाने के फलस्वरूप टेक्नीकल त्याग पत्र की स्वीकार किए जाने हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर प्रस्तुत टेक्नीकल त्यागपत्र राजस्थान सेवानियम 22 एवं वित विभाग के परिपत्र क्रमांक प.13(1)वित्त/नियम/2003 दिनांक 7.9.2006 के तहत तत्काल प्रभाव स्वीकृत किया जाता है एवं टेक्नीकल त्याग पत्र स्वीकृति दिनांक से इनका उक्त पद व्याख्याता(स्कूल शिक्षा)इतिहास से पदाधिकार समाप्त किया जाता है, विभाग में इनका लियन नहीं रहेगा।

11/12

(हिमांशु गुप्ता)
IAS
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

क्रमांक शिविरा/मा/संस्था/सी–2/इति–वाणि/एनओसी/अनुज्ञा/2018–19 दिनांक– 11/12/2019

प्रतिलिपिः–प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु–

1. सम्बन्धित संयुक्त निदेशक–स्कूल शिक्षा,
2. सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी–मुख्यालय/मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी
3. सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्युटर अनुभाग को विभागीय वेबसाईट पर अद्यतन करने हेतु।
4. अनुभाग अधिकारी शाला दर्पण अनुभाग कार्यालय हाजा को उक्तानुसार कार्मिक के कार्यमुक्ति/कार्यग्रहण कार्यवाही की मोनिटरिंग करावें।
5. संबधित संस्था/शाला/प्रधानाचार्य को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि उक्तानुसार शाला दर्पण को तत्काल अपडेट करवावें।
6. सम्बन्धित कार्मिक
7. निजी/रक्षित पत्रावली

संयुक्त निदेशक(कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

Scanned by CamScanner

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर

–कार्यालय–आदेश–

मनीषा चौधरी (व्याख्याता–अर्थशास्त्र) राउमावि. खैरथल, अलवर जन्मतिथि 15/08/1991 को निजी विदेश यात्रा हेतु दिनांक 16.12.2019 से 22.12.2019 तक 07 दिवस की विदेश यात्रा (बाली, इण्डोनेशिया) जाने की अनुमति निम्नांकित शर्तों के अध्यधीन प्रदान की जाती है:–

1. कार्मिक सक्षम अधिकारी से अपना अवकाश स्वीकृत करवाये जाने के पश्चात् अपने यात्रा पर प्रस्थान करेंगे।
2. कार्मिक विदेश में स्वीकृत अवधि से अधिक नहीं ठहरेंगे, अवकाश समाप्ति पश्चात् अपने कर्तव्य स्थान पर उपस्थिति प्रदान किया जाना सुनिश्चित करेंगे। स्वीकृत अवकाश अवधि के पश्चात् यदि कार्मिक अपने कर्तव्य स्थान पर अनुपस्थित रहता है तो उक्त कार्मिक को कर्तव्य से जानबूझकर अनुपस्थित रहा माना जावेगा एवं उसके विरूद्ध आर.एस.आर. 1951 के नियम 86 के प्रावधानान्तर्गत कार्यवाही अमल में लायी जाकर नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।
3. एक बार में स्वीकृत अवकाश में वृद्धि नहीं की जावेगी।
4. विदेश से भिजवाया गया त्यागपत्र स्वीकार नहीं किया जावेगा।
5. सक्षम अधिकारी विदेश यात्रा हेतु अवकाश स्वीकृति से पूर्व निम्नांकित की पुष्टि अनिवार्य रूप से कर लेंवे:–
   (अ) कार्मिक के अवकाश पर जाने से कार्यालय/संस्था का राजकीय कार्य/शिक्षण कार्य प्रभावित नहीं होगा।
   (ब) कार्मिक द्वारा अपना कार्यभार एवं महत्वपूर्ण दस्तावेजों का हस्तांतरण पूर्ण रूप से कर दिया गया है।
   (स) कार्मिक के विरूद्ध तत्समय कोई विभागीय जांच/कार्यवाही प्रस्तावित अथवा विचाराधीन नहीं है।
   (द) कार्मिक के विरूद्ध तत्समय कोई न्यायिक प्रकरण लम्बित/विचाराधीन नहीं है।
6. विदेश यात्रा की अनुमति उक्त स्वीकृति अवकाश अवधि हेतु ही मान्य है।
7. विदेश यात्रा पर प्रस्थान करने से पूर्व सम्बन्धित कार्यालय को विदेश प्रवास में ठहरने का पूर्ण पता मय मोबाईल नम्बर आदि सूचित करेंगे।
8. विदेश यात्रा हेतु अथवा विदेश यात्रा के दौरान राज्य सरकार के माध्यम से कोई विदेशी विनिमय नहीं किया जावेगा एवं न ही राजकीय स्त्रोत से विदेशी मुद्रा उपलब्ध करवाई जाएगी।
9. विदेश यात्रा के दौरान कार्मिक द्वारा किया गया किसी प्रकार का अध्ययन/व्यवसाय/नियोजन स्वीकार नहीं किया जावेगा।
10. राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों की पूर्ण पालना की जावेगी।
11. विदेश यात्रा के दौरान किसी राजकीय अभिलेख/सूचना की गोपनीयता भंग नहीं की जावेगी।

11/12

(हिमांशु गुप्ता)
IAS
निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा,राजस्थान
बीकानेर

क्रमांकः– शिविरा/मा/संस्था/सी–5/विदेश अनुज्ञा/17/282 दिनांकः– 11/12/19

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. संबंधित संयुक्त निदेशक/मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, स्कूल शिक्षा..............................
2. जिला शिक्षा अधिकारी(मुख्यालय)माध्यमिक शिक्षा/मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी..................
3. सिस्टम एनालिस्ट, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड हेतु ।
4. संबंधित प्रधानाचार्य, को प्रेषित कर लेख है कि संबंधित कार्मिक द्वारा आवेदन अवकाश प्रार्थना पत्र नियमानुसार स्वीकृत कर विदेश यात्रा हेतु प्रस्थान करावें ।
5. संबंधित कार्मिक........................
6. निजी/रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर